



राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन-सम्पर्क शाखा)
राजभवन, पटना—800022

ई-मेल—pr.rajbhavan@gmail.com
 prrajbhavanbihar@gmail.com
 मोबाइल—9431283596

प्रेस—विज्ञाप्ति

'चांसलर अवार्ड' के जरिये उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार को गति दी जायेगी

पटना, 29 सितम्बर 2018

विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के विकास, गुणात्मक सुधार, नवाचारीय प्रयोग आदि के अनुकूल प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के निर्माण की दृष्टि से, महामहिम राज्यपाल—सह—कुलाधिपति श्री लाल टंडन के निदेश के आलोक में 'चांसलर अवार्ड' प्रदान किये जायेंगे। स्वरूप शैक्षिक वातावरण विकसित करते हुए महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'चांसलर अवार्ड' की चयन—प्रक्रिया, निर्धारित शर्तों, विहित समय—सारणी आदि से संदर्भित 'नियमावली' शीघ्र तैयार करने का कार्य राज्यपाल सचिवालय ने प्रारंभ कर दिया है। इस क्रम में नियमावली का एक संक्षिप्त प्रारूप कुलपति—बैठक (27 नवम्बर, 18) में सभी कुलपतियों के विचार आमंत्रित करने के लिए परिचारित कर दिया गया है। प्राप्त सुझावों के आलोक में नियमावली को अंतिम रूप प्रदान कर दिया जायेगा तथा यह महामहिम के अनुमोदनोपरांत जारी हो जाएगी।

'चांसलर अवार्ड' के लिए तैयार नियमावली—प्रारूप के अनुसार (1) सर्वोत्तम महाविद्यालय (2) सर्वोत्तम रूप से अकादमिक और परीक्षा कैलेण्डर के कार्यान्वयनकर्ता (3) सर्वोत्तम 'स्वच्छ एवं हरित परिसर' (4) सर्वोत्तम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनेवाली संस्था (5) सर्वोत्तम शोध—गतिविधियों के कार्यान्वयनकर्ता (6) सर्वोत्तम रूप से आई.सी.टी. का उपयोग करनेवाली संस्था (7) सर्वोत्कृष्ट प्राचार्य (8) सर्वोत्कृष्ट कुलपति (9) सर्वोत्कृष्ट कुलसचिव (10) सर्वोत्कृष्ट अकादमिक विद्यार्थी (11) सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी विद्यार्थी (12) सर्वोत्कृष्ट सांस्कृतिक प्रदर्शन करनेवाला विद्यार्थी (13) सर्वोत्कृष्ट शिक्षक तथा (14) सर्वोत्कृष्ट नवाचारीय प्रयोग और सर्वोत्तम गतिविधियाँ संचालित करनेवाली संस्था या व्यक्ति—इन चौदह कोटियों में 'चांसलर अवार्ड' प्रदान किये जाने पर गंभीरतापूर्वक मंथन चल रहा है।

इन सभी चौदह कोटि के अवार्डों के लिए अपेक्षित मानदंडों के निर्धारण का काम भी अंतिम चरण में है।

सर्वोत्कृष्ट कॉलेज के चयन हेतु 'NAAC' मान्यता के अंक, RUSA की रैंकिंग, फन्डिंग और उपयोगिता प्रमाण—पत्र का प्रेषण आदि बातें प्रमुख होंगी, जबकि सर्वोत्कृष्ट प्राचार्य के चयन में NAAC मूल्यांकन, RUSA फन्डिंग आदि के साथ—साथ, महाविद्यालय में कार्यान्वयनकर्ता नयी परियोजनाओं की संख्या, छात्र—सुविधाओं का विकास, नवाचारीय प्रयोग, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास हेतु व्यक्तिगत एवं सांस्थिक पहल आदि बातों पर प्रमुखता से ध्यान दिया जाएगा।

इसी तरह **सर्वोत्कृष्ट कुलपति** के चयन में नैक मूल्यांकन, RUSA की फन्डिंग के अलावे निर्धारित अकादमिक एवं परीक्षा कैलेण्डर का अनुपालन, लोक शिकायत—तंत्र का कुशल संचालन, आई.सी.टी. का कुशलतापूर्ण प्रयोग, कुलाधिपति के न्यायादेशों एवं निदेशों का ससमय अनुपालन, शिक्षा की अनुषंगी गतिविधियों यथा—सांस्कृतिक एवं खेलकूद की गतिविधियों आदि के प्रोत्साहन जैसे मानदंडों पर प्रमुख रूप से विचार किया जाना है। **सर्वोत्कृष्ट कुलसचिवों** के चयन में कुलाधिपति एवं कुलपति के निदेशों का ससमय अनुपालन, ससमय प्रतिवेदन—प्रेषण, सेवांत लाभ के मामलों के त्वरित निष्पादन, ई—गवर्नेन्स के सम्यक् कार्यान्वयन, लोक शिकायत निवारण कोषांग के सम्यक् संचालन आदि प्रमुख बातों का ध्यान रखा जाना है।

इसी तरह सर्वोत्कृष्ट अकादमिक छात्र के चयन में सर्वोत्कृष्ट परीक्षाफल, वर्ग में उपस्थिति, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रमेतर अनुषंगी गतिविधियों में प्रदर्शन आदि मानदंडों का ध्यान रखा जाना है, जबकि सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी एवं सर्वोत्कृष्ट सांस्कृतिक प्रदर्शन करनेवाले विद्यार्थी के रूप में चयनित होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय या 'एकलव्य' और 'तरंग' जैसी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करनेवाले विद्यार्थी का चयन होगा।

'चांसलर अवार्ड' के लिए सर्वोत्कृष्ट शिक्षक के रूप में चयन के लिए शिक्षक की वर्ग में नियमित उपस्थिति, उनकी शोध से जुड़ी गतिविधियों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में रचना-प्रकाशन और अन्य उल्लेखनीय गतिविधियों आदि मानदंडों पर प्रमुखता से विचार होगा।

'चांसलर अवार्ड' अकादमिक एवं परीक्षा-कैलेण्डर के पूर्ण अनुपालन, स्वच्छ एवं हरित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय परिसरों के विकास, आई.सी.टी. (Information & Communication Technology) के कार्यान्वयन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास, नवाचारी प्रयोगों के सफलपूर्वक कार्यान्वयन आदि कोटियों में भी प्रदान किए जाने पर गंभीरतापूर्वक विचार चल रहा है।

'चांसलर अवार्ड' के रूप में ट्रॉफी एवं प्रमाण-पत्र दिये जाने की चर्चा प्रारूप में है। चयन-समिति राजभवन द्वारा गठित होगी। 'चयन समिति' ही प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा कर अंतिम रूप से चयनित सूची प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर तक कुलाधिपति को समर्पित करेगी। प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम-स्थल आदि का निर्धारण आयोजन-समिति द्वारा ही किया जायेगा।

चांसलर अवार्ड वितरण हेतु वार्षिक समारोह आयोजित करने के लिए जो समय-सारणी विचाराधीन है, उसके मुताबिक प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई तक 'चयन समिति' का गठन हो जाना है, 'आयोजन समिति 15 अगस्त तक गठित होनी है, अवार्ड के लिए प्रस्ताव-प्रस्तुति 15 सितम्बर तक होगी, चयन-समिति चयनित अवार्डों की सूची 15 अक्टूबर तक महामहिम राज्यपाल-सह-कुलाधिपति को समर्पित करेगी।

राज्यपाल सचिवालय द्वारा तैयार 'चांसलर अवार्ड' की नियमावली के प्रारूप पर कुलपतियों के मंतव्य शीघ्र माँगे गए हैं और तदुपरांत इसे अंतिम रूप प्रदान करते हुए कुलाधिपति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
